भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4157
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

चिकित्सा संस्थानों में आत्महत्या के मामले

4157. श्री एंटो एन्टोनी:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास संपूर्ण देश के चिकित्सा महाविद्यालयों, परिचर्या महाविद्यालयों और विद्यालयों तथा अन्य पराचिकित्सा संस्थानों सहित शैक्षणिक चिकित्सा संस्थानों में दर्ज किए गए आत्महत्या के मामलों के संबंध में आंकडे हैं;
(ख) यदि हां, तो देश में पिछले दस वर्षो के दौरान दर्ज ऐसे मामलों का वर्षवार और संस्थानवार ब्यौरा क्या है; और
(ग) सरकार द्वारा भविष्य में इन संस्थानों में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने और छात्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) का कार्यान्वयन, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनटीएमएचपी), टेली मानस मोबाइल एप्लीकेशन, राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति आदि शामिल हैं। उच्च शिक्षा विभाग से अपने विभाग के तहत शैक्षणिक संस्थानों में एनटीएमएचपी/टेली मानस का व्यापक प्रचार करने और तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हेल्पलाइन का उपयोग करने के लिए छात्रों के बीच हेल्पलाइन नंबर साझा करने का भी अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों के बीच एनटीएमएचपी/टेली मानस के व्यापक प्रसार और प्रचार के लिए अनुरोध किया गया है। सभी राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, एम्स और केंद्र सरकार के

मेडिकल कॉलेजों से भी छात्रों के बीच टेली मानस का प्रचार करने का अनुरोध किया गया है ताकि वे किसी भी समय निःशुल्क और गोपनीय सहायता के लिए हेल्पलाइन का उपयोग कर सकें।

इसके अतिरिक्त, फरवरी, 2024 में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) की एंटी-रैगिंग समिति द्वारा 15 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया गया था। एनएमसी ने अगस्त, 2024 में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है। पीड़ित छात्र एनएमसी की वेबसाइट के साथ-साथ केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) जैसे अन्य पोर्टलों पर मानसिक स्वास्थ्य और रैगिंग संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज और संस्थानों में रैगिंग की रोकथाम और निषेध विनियम, 2021 जैसे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के नियमों के अनुसार कॉलेजों को वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा अपराधियों के लिए दंडात्मक कार्रवाई निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। मेडिकल शैक्षणिक संस्थानों में रिपोर्ट किए गए आत्महत्या के मामलों के बारे में डेटा केंद्रीय रूप से संकलित नहीं किए गए हैं।

******